संख्या–726/ II–2005–01(92)/2003

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग

देहरादून, दिनांक, 12-8-05

विषयः– कार्यप्रभारित अधिष्ठान के मृतक आश्रितों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–सी–858/मुअ/सिविउदे/ डब्लू–3 जी, दिनांक 01.03.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 3239/ नौ–1– सिं0/ 92–स्था0/2002, दिनांक 04.12.2002 में निम्न प्रकार प्रतिस्थापन किया जाता है:–

| क0 सं0 | स्तम्भ–I | स्तम्भ–II |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–2<br>कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या– 1009/का–1991, दिनांक 29.06.91 से पूर्व नियुक्त **जो कर्मचारी कार्यप्रभारित अधिष्ठान में अभी तक निरन्तर कार्य कर रहे हैं**, को वरिष्ठता के अनुसार विभाग में उपलब्ध नियमित रिक्त पदों के सापेक्ष (स्थाई अथवा अस्थायी) निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन विनियमित किया जाये। | पैरा–2<br>कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या– 1009/का–1991, दिनांक 29.06.91 **से पूर्व नियुक्त ऐसे कार्यप्रभारित कर्मी जो अभी तक निरन्तर कार्य कर रहे हैं**, को वरिष्ठता के अनुसार विभाग में उपलब्ध नियमित रिक्त पदों के सापेक्ष (स्थाई अथवा अस्थायी) निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन विनियमित किया जाये। |
| 2 | शासनादेश दि0 04.12.02का पैरा–2 का प्रस्तर–10<br>ऐसे कार्यप्रभारित कर्मी जो इस शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थाओं के अनुरूप नियमित पदों पर नियमितीकरण किये जाने हेतु पात्र हैं, की मृत्यु की दशा में **उनके आश्रितों को मृतक आश्रित के रूप में दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों के रूप में तैनात किया जा सकेगा।** | शासनादेश दि0 04.12.02का पैरा–2 का प्रस्तर–10<br>ऐसे कार्यप्रभारित कर्मी जो इस शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थाओं के अनुरूप नियमित पदों पर नियमितीकरण किये जाने हेतु पात्र हैं, की मृत्यु की दशा में **उनके आश्रितों को कर्मी की मृत्यु से 01 वर्ष के अन्दर मृतक आश्रित के रूप में दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों के रूप में तैनात किया जा सकेगा।** |

अतएव कृपया शासनादेश संख्या–3239/नौ–1–सिं0/92 स्था0/2002, दिनांक 04.12.02 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त शासनादेश निर्गत होने की तिथि से ही प्रभावी होगा।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।